

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र०सू०रि० सं. 322/22 दिनांक 22/8/2022
2. (I) अधिनियम ..धाराये-7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 वी भा.दं.सं.
- (II) अधिनियम ..... धाराये .....
- (III) अधिनियम ..... धाराये .....
- (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराये .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 391 समय 4:10 pm  
 (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांक:- रविवार, 21.08.2022 समय 06.25 पी.एम.  
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 16.08.2022 समय 11.40 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :- लिखित
5. घटनास्थल :- शिव मन्दिर के आगे बना बरामदा, कस्बा मण्डावर, जिला दौसा  
 (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- करीब 80 किमी लगभग, उत्तर-पूर्व दिशा में  
 (ब)पता - शिव मन्दिर के आगे बना बरामदा, कस्बा मण्डावर, जिला दौसा बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....  
 (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
 पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
 (अ) नाम :- श्री मुकेश मीणा  
 (ब) पिता/पति का नाम - श्री परसादीलाल मीणा  
 (स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 48 वर्ष..  
 (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....  
 (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....  
 जारी होने की जगह .....  
 (र) व्यवसाय- कृषि  
 (ल) पता- निवासी ग्राम ईसरी खेडा, तह. मण्डावर, जिला दौसा हाल कस्बा मण्डावर, जिला दौसा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
 1- श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री घमण्डीराम मीणा, उम्र 33 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम घोसराना, तह. कठूमर, जिला अलवर हाल मकान नं. 10, जगनविहार, बालिका स्कूल के सामने, मण्डावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा  
 2- श्री हरिमोहन मीणा पुत्र श्री सुरजनराम मीणा, उम्र 35 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा हाल लाईनमेन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि- रिश्वती राशि 60,000/-रुपये
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 60,000/-रुपये
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इतिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-  
 हालात प्रकार इस प्रकार से है कि परिवादी श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री परसादीलाल मीणा उम्र 48 साल जाति मीणा निवासी ग्राम ईसरी खेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा हाल निवासी कस्बा मण्डावर दौसा ने दिनांक 16.08.2022 को समय 11.40 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि मैं ईसरी खेडा का रहने वाला हूं। प्रार्थी के स्वयं के नाम से मण्डावरी कस्बे एस.आई. पी. (चक्की विद्युत कनेक्शन) है तथा अपने पिताजी के नाम पर कृषि कनेक्शन ग्राम ईसरी खेडा में है। प्रार्थी का उक्त कृषि कनेक्शन मण्डावर कस्बे की सीमा में ही है, जिसे मण्डावर कस्बे में करवाना चाहता है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा श्री जगदीश, कनिष्ठ अभियन्ता व लाईनमैन

श्री हरिमोहन से प्रार्थना पत्र देने बाबत बात की थी, तो उनके द्वारा मुझे उच्चती में ही एस.आई.पी. व कृषि कनेक्शन को चालू रखते हुए दोनों के मीटर को उलटफेर करते हुए फायदा उठाने के लिये कहा। इस पर प्रार्थी ने उन्हें उच्चती कार्य से मना करते हुए सही प्रक्रिया अपनाते हुए कृषि कनेक्शन करने हेतु कहा। इस पर उन दोनों ने मुझे 70,000/- रुपये देने के लिये कहा, कि तुम तो ये पैसे हमे दे दो, बाकी हम पर छोड़ दे। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी अपने जायज कार्य को करवाने के लिये उनकी बात नहीं मानकर उन्हें कोई भी राशि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने हेतु या रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता हूं। उन्हें ये राशि रिश्वत के तौर पर ग्रहण करते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। उक्त दोनों जे.ई.एन. जगदीश व लाईनमैन हरिमोहन से मेरी कोई पुरानी लेन-देन बाकी नहीं है और कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट अपने मिलने वाले हेमन्त शर्मा से बोल-बोलकर लिखवाकर लाना एवं लिखित रिपोर्ट में अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि० श्री लोकेश कुमार 155 को मांग सत्यापन हेतु समय करीब 12.30 पी.एम. पर परिवादी के साथ कस्बा मण्डावर, जिला दौसा के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 5.40 पी.एम. पर श्री लोकेश कुमार कानि० ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं मिले। इसलिये मांग सत्यापन नहीं हो सका। इस पर कानि० को परिवादी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर शाम एवं कल दिनांक 17.08.2022 को आरोपीगण से वार्ता कर सत्यापन करवाने हेतु वहीं मुकीम होने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 17.08.2022 को समय करीब 8.20 पी.एम. पर कानि० श्री लोकेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि दिनांक 16.08.2022 को मैं और परिवादी यहा से रवाना होकर कस्बा मण्डावर में आरोपी श्री जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता के मकान के नजदीक पहुँचें तो पहले तो वे दोनों आरोपीगण हमें नहीं मिले फिर शामः को हम दोनों आरोपी जे.ई.एन के मकान के नजदीक पहुँच तो मैं तो उस मकान के बाहर खड़ा हो गया तथा परिवादी रिकॉर्ड चालूकर आरोपी के पास उसके मकान पर जाकर वार्ता कर बाहर आकर मुझे बताया कि मेरी जे.ई.एन साहब से वार्ता हो गई है उन्होंने मुझे कहा है कि आपका काम तो करेगे यार पर कल हरिमोहन से वार्ता कर लेते हैं। इसके बाद दिनांक 17.08.2022 को समय करीब 10.00 एएम पर परिवादी के घर पर आरोपी लाईनमैन श्री हरिमोहन आया तो मैं तो परिवादी के निवास पर दूसरे कमरे में बैठकर उनको देखता रहा तथा परिवादी डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर अन्य कमरे में आरोपी से वार्ता करने लगा। आरोपी के जाने के बाद परिवादी ने मुझे बताया हरिमोहन ने मुझसे अपने व जे.ई.एन के लिए मुझसे मेरे काम के लिए 80,000 रुपये देने के लिए कहा। इस पर मेरे द्वारा कम करने के लिए कहा तो हरिमोहन ने मुझसे कहा कि जे.ई.एन साहब तीन-चार बजे के आस पास अपने घर पर आते हैं तब उनसे बात कर लेंगे। इसके बाद मैं व परिवादी समय करीब 4.00 पीएम पर परिवादी के निवास से जे.ई.एन जगदीश के निवास स्थान कस्बा मण्डावर के नजदीक पहुँचे तो मैं आरोपी के निवास से थोड़ी पहले ही उत्तर गया, तो उस निवास स्थान के नजदीक श्री हरिमोहन लाईनमैन भी उपस्थित मिला। इसी दरमियान परिवादी ने डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालूकर कर लिया तथा परिवादी व लाईनमैन आपस में वार्ता करने लगे व हरिमोहन ने फोन पर भी वार्ता की। इसके बाद हरिमोहन वहा से चले जाने के बाद परिवादी मेरे पास आकर मुझे बताया कि जे.ई.एन श्री जगदीश से श्री हरिमोहन ने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो जे.ई.एन ने महुवा जाना बताकर हरिमोहन को ही मेरे से वार्ता करने के लिए कहा तब श्री हरिमोहन ने मुझे अपने व जे.ई.एन के लिए जे.ई.एन के कहने पर मेरा मीटर चेन्ज करने के लिए 70,000 रुपये रिश्वत के देने के लिए तथा डिपी चेन्ज करने के लिए 2,00,000 रुपये देने के लिए कहा, इसके बाद मैंने उनको फिर कम कराते हुये 60,000 रुपये के लिए कहा तो हरिमोहन ने मुझे कहा कि जे.ई.एन साहब एक डेढ़ घण्टे में आ जायेंगे तब जे.ई.एन साहब के पास उनके घर चलकर बैठकर बात कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों वापिस परिवादी के घर पर आ गये। इसके बाद समय करीब 06.40 पीएम पर मैं व परिवादी उनके निवास से मोटरसाईकिल से पुनः आरोपी जे.ई.एन के निवास स्थान के नजदीक पहुँचे तो मैं तो उस निवास से कुछ दूरी पर ही उत्तर गया तथा परिवादी रिकॉर्डर चालूकर उसके निवास के

नजदीक पहुँचा तो हरिमोहन भी वहां पर आ गया। इसके बाद परिवादी व श्री हरिमोहन जेर्झेन जगदीश के निवास में चले गये। कुछ देर बाद परिवादी व श्री हरिमोहन जेर्झेन साहब से वार्ता कर उनके निवास से साथ-साथ बाहर आये। इसके बाद हरिमोहन तो चला गया और परिवादी ने मुझे बताया कि जेर्झेन साहब ने हरिमोहन को मेरा काम करने के लिए कहा तो हरिमोहन ने मुझसे अपने व जेर्झेन के लिए 70,000 हजार रुपये रिश्वत के देने के लिए कहा। इस पर मैंने कम कराते हुये 60,000 रुपये के लिए कहा तो जेर्झेन साहब ने मुझसे कहा कि यार मुकेश करले यार। इसके बाद मैंने उनको 60,000 रुपये के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप पैसों की व्यवस्था कर लेना हम ले लेगे। इसके बाद कानिंजा ने बताया कि परिवादी के घर पर उसको जरूरी काम है। इस पर कानिंजा को परिवादी से डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी को कल दिनांक 18.08.2022 को रिश्वती राशि के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर वही छोड़कर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 10.00 पी.एम. पर कानिंजा कार्यालय में उपस्थित आया व मन् अति. पुलिस अधीक्षक को डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर जरिये दूरभाष बताई गई सभी बाते बताई, डिजीटल टेपरिकॉर्डर को चालू कर सुना गया, तो आरोपीगण द्वारा परिवादी से डीपी बदलने के लिए 2,00,000 रुपये एवं मीटर बदलने के लिए 70,000/-रुपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 60,000/-रुपये में सहमत होना स्पष्ट रूप से पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी डिजिटल टेपरिकॉर्डर मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 18.08.2022 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा कार्यालय में उपस्थित आया एवं कानिंजा. लोकेश कुमार द्वारा जरिये दूरभाष बताई गई सभी बाते बताई एवं मांग सत्यापन होने की ताईद की। तत्पश्चात् कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, दौसा से पूर्व के तलबशुदा गवाहान को लाने हेतु श्री राकेश कानिंजा को रवाना किया गया तो कानिंजा उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री कृष्ण सिंह बुन्देला, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बाबूलाल मीणा, कनिष्ठ सहायक के कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान का परिवादी श्री मुकेश मीणा से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 16.08.2022 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढ़वाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढ़कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपने मिलने वाले हेमन्त शर्मा से बोल-बोलकर लिखवाकर लाना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 16.08.2022 व 17.08.2022 को टेप किया गया था एवं जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपीगण श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन, जयपुर डिस्कॉम, मण्डावर, जिला दौसा की आवाज व अपनी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मुकेश मीणा द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस विलप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता को पैन ड्राईव में सेव करने हेतु एच.एम. मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानिंजा से तीन खाली पैन ड्राईव मंगवाये जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव में सेव कर तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पैन ड्राईव (सन डिस्क) पर मार्क- A-1, A-2, A-3 अंकित कर दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री मुकेश मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पैन ड्राईव मार्क A-1, A-2 को कागज के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर पर सफेद कागज चर्चाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कवर सहित दोनों

पैन ड्राईव को अलग—अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एच.एम. मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानिंहा के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् परिवादी को रिश्वती राशि साथ लेकर व दोनों गवाहान को दिनांक 21.08.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 21.08.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको रिश्वती राशि बाबत पूछा गया, तो अपने पास होना बताया तथा परिवादी के कुछ देर बाद ही दोनों स्वतंत्र गवाहान भी कार्यालय में उपस्थित आये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री मुकेश मीणा को संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन, जयपुर डिस्कॉम, मण्डावर, जिला दौसा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500—500 रुपये के 120 नोट कुल 60,000/-रु. निकाल कर को पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुद्गर्णी नोट में अंकित कर नोटों पर श्री रामखिलाडी मीणा कानिंहा 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 60,000 रुपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी मीणा कानिंहा 52 से अच्छी तरह से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मुकेश मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री बाबुलाल मीणा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 60,000/-रु. के नोट श्री रामखिलाडी मीणा कानिंहा 52 से परिवादी के पहने हुये कमीज की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करें। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मग्नावाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री रामखिलाडी मीणा कानिंहा 52 के हाथों की अगुलियों को ढुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिँकवाया गया। तत्पश्चात् पावडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी मीणा कानिंहा 52 के दोनों हाथों को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपीगण एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 1.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मुकेश मीणा व स्टाफ सदस्य सर्व श्री नवल किशोर मीणा, पुलिस निरीक्षक, श्री झाबर सिंह कानि. नं.

83, श्री अशोक कुमार कानि० 505, श्री राकेश कानि० 70, श्री मुकेश कुमार कानि० 101, श्री लोकेश कुमार कानि० नं. 155 व श्री प्रेमप्रकाश कानि० नं. 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के जरिये दो प्राईवेट वाहनों से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही कस्बा मण्डावर स्थित परिवादी के निवास स्थान के लिए रवाना होकर समय करीब 3.00 पी. एम. पर परिवादी के कस्बा मण्डावर स्थित निवास के पास पहुंचा जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में गली में खड़ा करवाकर परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन के मोबाईल पर वार्ता करवाई गई तो हरिमोहन का मोबाईल स्विच ऑफ आया। तत्पश्चात् मय ट्रेप पार्टी के आरोपी के मोबाईल के स्विच ऑफ आने पर कस्बा मण्डावर से बाहर रोड पर आकर आरोपीगण का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा के मोबाईल नंबर 9694709905 से आरोपी श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन के मोबाईल नंबर 8949756944 पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री हरिमोहन मीणा ने अपने आपको कस्बा महवा में होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता 7891480490 पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री हरिमोहन मीणा ने अपने आपको कस्बा महवा में होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मकान के नजदीक पहुंचे, जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में खड़ा करवाकर परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर डिजीटल ट्रेप रिकार्डर चालू करने की मुनासिब हिदायत प्रदान कर आरोपी के निवास स्थान के लिये रवाना किया गया तथा बाकी स्टाफ सदस्यों मय दोनों प्राईवेट वाहनों के रवाना होकर आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मकान के नजदीक पहुंचे, जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में खड़ा करवाकर परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर मकान के इर्द-गिर्द अपनी-अपनी स्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री मुकेश मीणा ने समय करीब 6:25 पी.एम. पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर के पास स्थित शिव मन्दिर के आगे बने बरामदे से अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल ट्रेपरिकॉर्ड प्राप्त कर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देशानुसार श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के निवास पर गया तो श्री जगदीश कनिष्ठ अभियन्ता व एक अन्य व्यक्ति मुझे उनके घर के बाहर ही मिले, जिस पर उस अन्य व्यक्ति ने श्री हरिमोहन मीणा को फोन कर बरगद के पेड के पास आने के लिये कहते हुए मुझे शिव मन्दिर के पास, बरगद के पेड के पास चलने के लिये कहा, तो मैं शिव मन्दिर के पास बरगद के पेड के पास आ गया। मेरे कुछ समय बाद ही श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व हरिमोहन मीणा, लाईनमैन तथा अन्य व्यक्ति भी बरगद के पेड के पास आ गये। पेड के पास आने के बाद हम सभी शिव मन्दिर के सामने बने बरामदे में चले गये, तब हरिमोहन ने मुझे कहा कि लाओ, तो मैंने पहनी हुई कमीज की दाहिनी तरफ की जेब से पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 60,000/-रुपये निकालकर हरिमोहन को दी तो उन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता श्री जगदीश मीणा के सामने ही मेरे से अपने बांये हाथ में प्राप्त कर फिर दोनों हाथों से गिनकर मुझे कहा कि 70,000/-रुपये ही लगें, तब मैंने कहा कि 60,000/-रुपये के लिये ही कहा था, आप नहीं मानो तो 10,000/-रुपये सुबह दे दूंगा, इसके बाद उसने उक्त रिश्वती राशि को अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाँई जेब में रख लिया। तत्पश्चात् मैंने मौका पाकर नियत ईशारा कर दिया। इसके बाद उक्त बरामदे में बैठे पेन्ट शर्ट पहने हुए दो व्यक्तियों की तरफ ईशार कर बताया कि साहब ये नीली शर्ट पहने हुए बैठा व्यक्ति श्री जगदीश मीणा कनिष्ठ अभियन्ता है एवं इसके पास ही बैठे चैक्स की शर्ट पहने हुए व्यक्ति श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन है, जिन्होंने अपनी मांग अनुसार मेरे से 60,000/-रुपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बाँई जेब में रखे हैं, जो अभी भी इनकी जेब में ही है। इस पर नीली शर्ट पहने हुए व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उससे उसका नाम-पता पूछा तो चैक्स की शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाँई जेब से कुछ रुपये निकालकर बरामदे की फर्श पर डाल दिये एवं फिर दोनों व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे तो नीली शर्ट पहने हुए व्यक्ति के दोनों हाथों को श्री अशोक कुमार कानि० नं. 505 व श्री राकेश कुमार नं. 70 को पकड़ने बाबत कहा तो श्री अशोक कानि० नं. 505 ने

बांया हाथ एवं श्री राकेश कुमार कानि. नं. 70 ने उसका दायां हाथ कलाई के उपर से अलग—अलग पकड़ लिया। इसके बाद चैक्स की शर्ट व पेन्ट पहने हुए व्यक्ति के दोनों हाथों को श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 व श्री मुकेश कुमार कानि. नं. 101 को अलग—अलग पकड़ने बाबत कहा तो श्री लोकेश कुमार ने उक्त व्यक्ति के दाहिने हाथ को एवं श्री मुकेश कुमार ने उसके बांये हाथ को कलाई के उपर से अलग—अलग पकड़ लिया। इसके बाद नीली शर्ट व पेन्ट पहने हुए व्यक्ति से उसका नाम—पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश मीणा पुत्र श्री घमण्डीराम मीणा, उम्र 33 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम घोसराना, तह. कठूमर, जिला अलवर हाल मकान नं. 10, जगनविहार, बालिका स्कूल के सामने, मण्डावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दौसा होना व चैक्स की शर्ट व पेन्ट पहने हुए व्यक्ति ने अपना नाम हरिमोहन मीणा पुत्र श्री सुरजनराम मीणा, उम्र 35 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा हाल लाईनमेन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दौसा होना बताया। इसके बाद श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन द्वारा ट्रेप पार्टी को देखकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाईं जेब से रिश्वती राशि निकालकर बरामदे की फर्श पर डाली गई उक्त रिश्वती राशि को गवाह श्री कृष्ण सिंह बुन्देला से उठवाकर उनके पास ही रखवाये गये। इसके बाद श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डावर, जिला दौसा को परिवादी से ली गई पाउडर युक्त 60,000/- रुपये रिश्वत राशि बाबत पूछा कि आपने परिवादी श्री मुकेश मीणा से उक्त रिश्वत राशि 60,000/- रुपये किस काम के पेटे लिये हैं एवं कहा है, तो श्री जगदीश मीणा कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मैंने श्री मुकेश मीणा से कोई रिश्वत की मांग नहीं की और न ही प्राप्त की है, मुझे नहीं पता कि इसने किसको किस काम के लिये पैसे दिये हैं। इसके बाद श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन से रिश्वत राशि 60,000/- रुपये बाबत पूछा गया तो, श्री हरिमोहन मीणा ने बताया कि श्री मुकेश मीणा के कनेक्शन को कस्बा मण्डावर से जोड़ने के लिये मैंने इससे डिमाण्ड नोटिस के 60,000/- रुपये लिये हैं, जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाईं जेब में रखे थे, जो मैंने आपको देखकर फर्श पर गिरा दिये। मैंने मुकेश मीणा से कोई रिश्वत की मांग नहीं की और न ही प्राप्त की है। इस पर श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन को पूछा गया कि डिमाण्ड नोटिस की राशि कितनी लगती है, तो श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि साहब श्री मुकेश मीणा ने अपने विद्युत कनेक्शन को कस्बा से जुड़वाने के लिये पत्रावली नहीं लगाई है, इसलिये मैं नहीं बता सकता कि कितनी राशि लगेगी। तत्पश्चात् श्री हरिमोहन से पूछा गया तो श्री हरिमोहन ने बताया कि साहब श्री मुकेश मीणा दो—चार दिन में पत्रावली लगाता इसलिये पैसे मैंने पहले ही ले लिये। इसके बाद श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 16.08.2022 व 17.08.2022 को श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन के साथ परिवादी से हुई वार्ता में कनिष्ठ अभियन्ता के सामने लाईनमेन द्वारा 70,000/- रुपये रिश्वत की मांग करने व परिवादी द्वारा कम करवाते हुए 60,000/- रुपये की कहने पर कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि और छाती केढ़ी करना एवं आप रुपये तैयार रखना ले लेगे के बारे में कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मैंने ऐसी कोई वार्ता नहीं की। इस पर पास ही खड़े परिवादी श्री मुकेश मीणा से पूछने पर बताया कि साहब श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन झूठ बोल रहे हैं। श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता ने दिनांक 16.08.2022 को मुझे मांग सत्यापन के दौरान अपने निवास पर हुई वार्ता में मूझे कहा कि आपका काम तो कर देगे लेकिन यार कल हरिमोहन से वार्ता कर लेते हैं। इसके बाद दिनांक 17.08.2022 को हरिमोहन ने मुझसे अपने व जेर्झेन के लिए मेरे काम के लिए 80,000 रुपये देने के लिए कहा। इस पर मेरे द्वारा कम करने के लिए कहा तो हरिमोहन ने मुझसे कहा कि जेर्झेन साहब तीन—चार बजे के आस पास अपने घर पर आते हैं तब उनसे बात कर लेगे। इसके बाद हरिमोहन ने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर जेर्झेन साहब से वार्ता की तो जेर्झेन साहब ने महुवा जाना बताकर हरिमोहन को ही मेरे से वार्ता करने के लिए कहा तब श्री हरिमोहन ने मुझसे अपने व जेर्झेन साहब के लिए जेर्झेन साहब के कहने पर मेरा मीटर चेन्ज करने के लिए 70,000/- रुपये रिश्वत के देने के लिए तथा डी.पी. चेन्ज करने के लिए 2,00,000/- रुपये देने के लिए कहा, इसके बाद मैंने उनको फिर कम करने के लिए कहा तो हरिमोहन ने मुझे कहा कि जेर्झेन साहब एक डेढ़ घण्टे में आ जायेगें तब जेर्झेन साहब

के पास उनके घर चलकर बैठकर बात कर लेगे। इसके बाद मेरी व श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा लाईनमेन की कनिष्ठ अभियन्ता के निवास पर वार्ता हुई तो जेईएन साहब ने हरिमोहन को मेरा काम करने के लिए कहा तो हरिमोहन ने मुझसे अपने व जेईएन साहब के लिए 70,000/-हजार रुपये रिश्वत के देने के लिए कहा इस पर मैंने कम करते हुये 60,000 रुपये के लिए कहा तो श्री हरिमोहन ने कहा कि यार 10,000 रुपये और बढ़ा। इसके बाद जेईएन साहब ने मुझे कहा कि मुकेश कर ले यार करले। इसके बाद मैंने उनको पुनः 60,000 रुपये के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप पैसों की व्यवस्था कर लेना हम ले लेंगे। श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के कहे अनुसार श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन ने अपने लिये एवं श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के लिये मेरे मीटर को अदला—बदली करने के लिये अपनी मांग अनुसार हरिमोहन मीणा, लाईनमेन ने कनिष्ठ अभियन्ता श्री जगदीश मीणा के सामने अभी—अभी मेरे से अपनी मांग अनुसार मांग कर 60,000/-रुपये अपने बांये हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाँझ जेब में रखे हैं। इसके बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने एवं कार्यवाही के लिये समुचित व्यवस्था नहीं हाने को मध्य नजर रखते हुए आरोपीगण के हाथों को पकड़े—पकड़े हुए ही आरोपीगण को गाड़ी में बैठाया जाकर मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय वाहनों के वहां से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा के लिये रवाना होकर समय करीब 7:00 पी.एम. पर पुलिस थाना मण्डावर में उपस्थित आया व आरोपीगण को थानाधिकारी के कक्ष में बैठाया गया। इसके बाद पुलिस थाना में रखी पानी की मटकी से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर दो कांच के साफ गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा जिसे मौजूदगान को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को एवं दूसरे गिलास में आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को डुबोकर बारी—बारी से धोवन लिया गया तो दोनों ही हाथों के अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्के गुलाबी हो गया, जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को अलग—अलग बारी—बारी से दो—दो साफ कांच की शीशीयों में आधा—2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन के बदन पर पहनी हुई ग्रे रंग की पेन्ट की बगल की बाँझ जेब जिससे आरोपी ने ट्रेप पार्टी को देखकर रिश्वती राशि बरामदे की फर्श पर डाली गई थी एवं जिसको फर्श से उठाकर श्री कृष्ण सिंह बुन्देला, स्वतन्त्र गवाह से उसके पास रखवाई गई थी, को दोनों गवाहान से गिनने एवं कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी के नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो श्री कृष्ण सिंह बुन्देला ने 500—500 रुपये के 120 नोट कुल 60,000/-रुपये होना एवं फिर दोनों गवाहान ने कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी रिश्वती राशि के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामद शुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नथीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी हरिमोहन मीणा, लाईनमेन की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्ण सिंह बुन्देला से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में एक मोबाईल विवो कम्पनी का व 170/-रुपये मिले, जिसके बारे में आरोपी ने अपने घर से जेब खर्च के लिए लाना बताया। इसके पश्चात् आरोपी श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन के कहे अनुसार पुलिस थाना मण्डावर के कानि. से एक लोवर मंगवाया जाकर आरोपी श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमेन के बदन पर पहनी हुई ग्रे कलर की पेन्ट, जिसकी बगल की बाँझ जेब से आरोपी ने ट्रेप पार्टी को देखकर रिश्वती राशि बरामदे की फर्श पर डाली थी, को शालीनतापूर्वक उत्तरवाया जाकर कानि. से मंगवाये गये लोवर को पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्व की भाँति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की बगल की बाँझ जेब जिससे रिश्वती राशि निकाल कर बरामदे की फर्श पर डाली गई थी, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया जाकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में

आधा—आधा डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट जिसकी बगल की बाँझ जेब से रिश्वती राशि निकालकर बरामदे की फर्श पर डाली गई थी, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई। इसके बाद परिवादी व आरोपीगण से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इन्कार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटना स्थल को नक्शा मौका कशीद किया गया, आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के निवास स्थान की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। इसके बाद समय करीब 10.25 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री मुकेश मीणा के समक्ष परिवादी व आरोपीगण श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन के मध्य दिनांक 21.08.2022 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन की आवाज व अपनी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मुकेश मीणा द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस किलप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता के पेन ड्राईव (सन डिस्क) बनाने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव (सन डिस्क) ट्रेप बाक्स से ली जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेन ड्राईव (सन डिस्क) तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेन ड्राईव (सन डिस्क) पर मार्क—B-1, B-2 व B-3 अंकित कर दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री मुकेश मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव (सन डिस्क) मार्क B-1 व B-2 को अलग—अलग कागज के कवर में सुरक्षित रखकर कवर पर सफेद कागज चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कवर सहित पेन ड्राईव (सन डिस्क) मार्क B-1 व B-2 को अलग—अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B-1 व B-2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरे पेन ड्राईव (सन डिस्क) मार्क B-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन को जरिये फर्द अपनी नमूना आवाज देने बाबत कहा तो दोनों ने ही नहीं देने बाबत लिखित में दिया गया। दोनों आरोपीगणों को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्रांशसील नम्बर—33 को तुड़वाकर नष्ट किया गया। इसके बाद परिवादी श्री मुकेश मीणा को रूखस्त कर पुलिस थाना मण्डावर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों एवं जप्तशुदा आर्टिकल पैकेट व रिश्वती राशि, ट्रेप बॉक्स, स्टेशनरी के जरिये दो प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर उपस्थित ए.सी.बी. कार्यालय दौसा आया। कार्यवाही में जब शुदा समस्त आर्टिकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॉ व जब शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 60,000/-रुपये को श्री बनवारीलाल, हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना एसीबी दौसा करवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रवाना किया गया।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री घमण्डीराम मीणा, उम्र 33 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम घोसराना, तह. कठूमर, जिला अलवर हाल मकान नं. 10, जगनविहार, बालिका स्कूल के सामने, मण्डावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा एवं श्री हरिमोहन मीणा पुत्र श्री सुरजनराम मीणा, उम्र 35

साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा हाल लाईनमेन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की ऐज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये आपसी मिली भगत कर परिवादी श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री परसादीलाल मीणा उम्र 48 साल जाति मीणा निवासी ग्राम इसरी खेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा हाल निवासी कस्बा मण्डावर दौसा से उसके पिताजी के नाम पर कृषि कनेक्शन ग्राम ईसरी खेडा को कस्बा मण्डावर में शिफिटिंग करवाने के बाद कस्बा मण्डावर से जुड़वाने पर उक्त कनेक्शन को कस्बा मण्डावर से नहीं जोड़कर उचन्ती तौर पर परिवादी के नाम चक्की कनेक्शन के मीटर और परिवादी के पिताजी के नाम कृषि कनेक्शन के मीटर को आपस में बदलने की ऐज में मांग सत्यापन दिनांक 16.08.2022 को आरोपी जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता ने परिवादी को आरोपी हरिमोहन मीणा, लाईनमैन द्वारा वार्ता करने के लिये कहना एवं दिनांक 17.08.2022 को आरोपी हरिमोहन मीणा, लाईनमैन द्वारा अपने व कनिष्ठ अभियन्ता श्री जगदीश मीणा के लिये कनिष्ठ अभियन्ता के सामने डीपी बदलने के लिए 2,00,000 लाख रुपये एंव मीटर बदलने के लिए 70,000/-रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाकर 60,000/-रुपये के लिये कहने पर 70,000/-रुपये रिश्वती राशि देने के लिये कहना एवं आरोपी श्री जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता ने उक्त राशि श्री हरिमोहन मीणा लाईनमैन को देने के लिए कहना एवं फिर परिवादी को 60,000/-रुपये की व्यवस्था करने के लिये कहकर सहमत होकर लेने हेतु कहना तथा अपनी उक्त मांग के अनुशरण में वरवक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 21.08.2022 को आरोपी श्री हरिमोहन मीणा, लाईनमैन द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के सामने परिवादी से रिश्वती राशि 70,000/-रुपये देने के लिये कहने पर परिवादी द्वारा आरोपी को 60,000/-रुपये देते हुए 10,000/-रुपये कल देने के लिये कहने पर आरोपी हरिमोहन मीणा, लाईनमैन द्वारा परिवादी से 60,000/-रुपये रिश्वती राशि अपने बांये हाथ से प्राप्त कर, फिर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाई जेब में रखना तथा उक्त रिश्वती राशि ट्रेप पार्टी को देखकर अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर शिव मन्दिर के आगे बने बरामदे की फर्श पर डालना एवं रिश्वती राशि बरामदे की फर्श से बरामद होना स्पष्ट रूप से पाया गया है। दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री घमण्डीराम मीणा, उम्र 33 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम घोसराना, तह. कठूमर, जिला अलवर हाल मकान नं. 10, जगनविहार, बालिका स्कूल के सामने, मण्डावर, जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

  
 (महेन्द्र कुमार शर्मा)  
 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
 भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो  
 दौसा

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री जगदीश मीणा, हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डावर, जिला दौसा एवं श्री हरिमोहन मीणा हाल लाईनमेन, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डावर, जिला दौसा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 322/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तप्तीश जारी है।

ला 228/22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक- 2818-23 दिनांक 22.08.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव(प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता(पवस), जयपुर डिस्कॉम, दौसा।
5. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

ला 228/22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।